कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री किशन किशोर पुत्र स्व0 श्री सागवा सिंह, ए-9 व ए-10, शर्मा मार्केट, भंगेल, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**003 / 12, 31.01.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सुनील गोयल, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री किशन किशोर पुत्र स्व0 श्री सागवा सिंह, ए-9 व ए-10, शर्मा मार्केट, भंगेल, नोएडा द्वारा दिनांक 31.01.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड जिसमें आई सी, कन्डक्टर, कैपिसिटर, डायोड और अन्य इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट लगे हुए हों वह प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड में सम्मिलित माना जायेगा या नहीं ? उस पर कर की देयता 4%, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-13 के अन्तर्गत आता है या नहीं ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री सुनील गोयल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि Consumer Electronics and Appliances Manufacturers Association के प्रमाण-पत्र दिनांक 03.08.2013 में कहा गया है कि PCB का टर्म सामान्यत प्लेन एवं असेम्बेल्ड बोर्ड, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद का प्रमाण-पत्र दिनांक 06.04.2011तथा विभिन्न डिक्शनरी में दी गयी प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड की परिभाषाएं भी प्रस्तुत की गयीं।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर जोन, नोएडा के पत्र संख्या-1002, दिनांक 04.09.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि किसी विद्युत उपस्कर के कार्य में उसके विद्युत परिपथ (electric circuit) का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नवीन विद्युत उपस्करों में विद्युत परिपथ अत्यन्त पेचीदा (complex) होने के कारण उसे छोटा व आराम से प्रयोग होने वाला बनाने के लिए प्लास्टिक के बोर्ड पर कन्डक्टर सामग्री से प्रिन्ट कर बनाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड माक्रोचिप के होने पर ही काम करे। किन्तु रजिस्टर, माइक्रो चिप इत्यादि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं। प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड का प्रयोग विभिन्न विद्युत के विद्युत परिपथ को परिभाषित करना होता है किन्तु स्वयं में प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड मृतप्राय उपस्कर है एवं उसके एक सम्पूर्ण या अंशत: किसी कार्य सक्षम उपस्कर का भाग बन जाने पर उसको प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड के विद्युत संयोजन व बैटरी से संयोजित होने पर यदि वह उस कार्य का निष्पादन कर सकता है जिसके लिए उस प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड को तैयार किया है तो वह स्वयं में पूर्ण विद्युत उपस्कर है एवं पृथक से प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के परिपथ को प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड में भी

....2

परिभाषित किया जा सकता है जब वह स्वतन्त्र रूप से किसी पृथक मशीन के रूप में स्थापित न हो सकता हो। दो या अधिक प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड को एक साथ जोड़ देने के बाद चाहे, यह उनमें बने ग्रूवस् (grooves) में फँसाकर किया जाए या तारों के माध्यम से यह एक अन्य उपस्कर का भाग बन जायेंगे किन्तु प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड की परिभाषा से बाहर हो जायेंगे। किसी स्वतन्त्र वस्तु के उसके साथ जुड़ने, यदि वह वस्तु स्थायी रूप से उसके साथ सोल्डर कर जोड़ न दी गई हो, यह प्रिन्टेड सक्रिट बोर्ड नहीं रह जायेगा। उदाहरणार्थ-मदर-बोर्ड के प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पर मैमोरी चिप व प्रोसेसर चिप के जोड़े जाने पर वह एक भिन्न वस्तु कम्प्यूटर का भाग बन जायेगा क्योंकि यह दोनों वस्तुएं अन्यथा स्वतन्त्र रूप से प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पर लगाई गई हैं। यह भी कहा गया कि जब तक प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड पृथक से विक्रय किया जाता है वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रम संख्या-13 के अन्तर्गत करयोग्य है, किन्तु इसमें यदि कोई संयोजन करके विक्रय किया जाता है तो वह उस विद्युत उपस्कर या अन्य वस्तु का भाग होगा जो उसके अन्तिम निर्माण से उत्पन्न हो और तदनुसार करयोग्य होगा।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड के सम्बन्ध में पूर्व में ही सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0 लि0, ए-90, लोवर ग्राउन्ड फ्लोर, सेक्टर-4, नोएडा के मामले में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्णय दिनांक 12.09.2013 को दिया जा चुका है। यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-13 पर '' प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड '' अंकित है। व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में '' प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड '' के सन्दर्भ में Wikipedia में दी गयी परिभाषा की छाया प्रति दाखिल की गयी है। इस विवरण में उल्लिखित है कि '' प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड '' के पूर्ण हो जाने पर इसमें कम्पोनेन्ट जोड़े जाते हैं जिसको '' प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड असेम्बली '' कहा जाता है। व्यापारी द्वारा दी गयी अन्य सभी परिभाषाओं एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के प्रमाण-पत्र में भी यह स्पष्ट लिखा है कि '' प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड '' पर अन्य उपस्कर लगाकर इसे किसी वस्तु विशेष के लिए एक कम्पोनेन्ट बनाया जाता है। इस प्रकार बनाया गया पार्ट या कम्पोनेन्ट किसी मशीन या उपकरण के पार्ट के रूप में प्रयोग होता है जो '' प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड '' से भिन्न होता है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम में केवल '' प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड '' उल्लिखित है और इस पर पूर्व में ही निर्णय हो चुका है। अत: पुन: इस बिन्दु पर कोई निर्णय दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर जोन, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड के सम्बन्ध में पूर्व में ही सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0 लि0, ए-90, लोवर ग्राउन्ड फ्लोर, सेक्टर-4, नोएडा के मामले में दिनांक 12.09.2013 को निर्णय दिया जा चुका है। प्रार्थी के वाद के तथ्य एवं सर्वश्री रोबो स्पीशीज टेक्नोलाजीस प्रा0 लि0, ए-90, लोवर ग्राउन्ड फ्लोर, सेक्टर-4, नोएडा के वाद के तथ्य समान हैं। दोनों ही मामलों में '' प्लेन प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड '' एवं '' असेम्बेल्ड प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड '' पर करदेयता का बिन्दु निहित है। इस पर सुविचारित निर्णय दिया जा चुका है। यह बिन्दु पूर्व में धारा-

.....3

59 के निर्णय दिनांक 12.09.2013 से स्पष्ट किया जा चुका है। पुन: अभिनिर्धारण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये।

दिनांक 28 अक्टूबर, 2013

ह0 / 28.10.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।